

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :-35/24

प्रार्थी

बैंक ऑफ बडौदा
मुख्य शाखा, जोधपुर जरिये प्राधिकृत
अधिकारी श्री हरिसिंह गहलोत

बनाम

अप्रार्थी

- राम नारायण बिश्नोई पुत्र बंशीलाल बिश्नोई
प्लॉट नं. 52/99, पहाडगंज द्वितीय कॉलोनी, किशोर बाग के पास, मण्डोर रोड, जोधपुर
- गंगा देवी पत्नि बंशीलाल बिश्नोई
प्लॉट नं. 52/99, पहाडगंज द्वितीय कॉलोनी, किशोर बाग के पास, मण्डोर रोड, जोधपुर



उपस्थित :-

1-विरेन्द्र सिंह इन्दा अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश दिनांक:- 26.03.2025

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण राम नारायण बिश्नोई पुत्र बंशीलाल बिश्नोई व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 4,25,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा

Signature valid



Digitally signed by G. Nav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.03.26 15:53:59 IST
Reason: Approved


पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण गंगा देवी पत्नि बंशीलाल बिश्नोई की जायदाद मकान/प्लाट नंबर 52/99, पहाड़गंज द्वितीय कॉलोनी, किशोर बाग के पास, मण्डोर रोड, जोधपुर मय इमारत-बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार जिसका क्षेत्रफल 242.28 वर्ग गज, जिसके उत्तर में 8 फीट गली, दक्षिण उषा की जायदाद, पूर्व में बिरतु देवी की जायदाद एवं पश्चिम में 25 फीट रोड़ आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 11.05.2024 तक 3,78,200/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 4,25,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 11.05.2024 तक 3,78,200/- रुपये वसूल किये जाने हैं। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्क्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्क्युरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद गंगा देवी पत्नि बंशीलाल बिश्नोई की जायदाद मकान/प्लाट नंबर 52/99, पहाड़गंज द्वितीय कॉलोनी, किशोर बाग के पास, मण्डोर रोड, जोधपुर मय इमारत-बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार जिसका क्षेत्रफल 242.28 वर्ग गज, जिसके उत्तर में 8 फीट गली, दक्षिण उषा की जायदाद, पूर्व में बिरतु देवी की जायदाद एवं पश्चिम में 25 फीट रोड़ आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 26.03.2025 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by  Av Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.03.26 15:53:59 IST
Reason: Approved